



2026:AHC:167578

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 25959 वर्ष 2026

अवधेश

वर्मा

.....आवेदक(गण)

बनाम

यूपी

राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अंजलि, प्रमोद कुमार सिंह, सोनाली मौर्य

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : कविता श्रीवास्तव, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

- पीड़ित/सूचनाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुश्री कविता श्रीवास्तव द्वारा दायर वकालतनामा को अभिलेख में ले लिया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री एन.के. शर्मा, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और सूचनाकर्ता की अधिवक्ता सुश्री कविता श्रीवास्तव की दलीलें सुनीं। अभिलेख का अवलोकन किया।
- यह जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 24 सन् 2026, धारा 85, 64(1), 351(3), 115(2) बी.बी.एन.एस. और 3/4 डी.पी. एक्ट, पुलिस स्टेशन- पिकाउलिया, जिला- बस्ती में मुकदमे की लंबितता के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
- आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक मुखबिर का बहनोई है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना अभिलेख विलंब से दर्ज कराई गई है। सह-अभियुक्त राकेश वर्मा और मुखबिर के बीच वैवाहिक कलह को आपराधिक मामले का रंग दिया गया है। प्रथम सूचना अभिलेख के अनुसार, आवेदक ने पीड़िता के साथ अभद्र व्यवहार किया था। कथित घटना की तिथि और समय न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में और न ही पीड़िता के बी.एन.एस.एस. की धारा 180 और 183 के तहत दिए गए बयानों में बताया गया है। यह तर्क दिया गया है कि आवेदक ने पीड़िता के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया था। इस स्तर पर, आवेदक को अपराध से जोड़ने वाला कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इसके अलावा, कार्यवाही के दौरान, दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। दिनांक 7.7.2026 के समझौते की प्रति सूचनाकर्ता द्वारा दायर संक्षिप्त प्रति-हलफनामे के अनुलग्नक संख्या 1 के रूप में संलग्न है। आवेदक 13.6.2026 से जेल में है और उसका

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. सूचनाकर्ता के अधिवक्ता आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलील का खंडन नहीं करते हैं और उनका कहना है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो सूचनाकर्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

6. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन अभिलेख से उपरोक्त दलीलों का संतोषजनक खंडन नहीं कर सके।

7. पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बात सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंबित है। कथित घटना की तिथि और समय न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में और न ही धारा 180 और 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत पीड़ित के बयानों में प्रकट किया गया है। दिनांक 7.7.2026 के समझौते के अनुसार पक्षकारों ने समझौता कर लिया है। इस स्तर पर, आवेदक को अपराध से जोड़ने वाला कोई पुख्ता सबूत नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके अलावा, आवेदक वर्तमान में एक महीने से अधिक समय से हिरासत में है और मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई उम्मीद नहीं है, खासकर तब जब राज्य द्वारा ऐसा कोई उचित आशंका नहीं जताई गई है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा या गवाह को डराएगा। मामले की खूबियों पर टिप्पणी किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

8. उपर्युक्त मामले में आवेदक - **अवधेश वर्मा** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-

- i. आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- ii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा;
- iii. आवेदक को विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होना होगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

11 अगस्त, 2026

एस.एस.

(विवेक वर्मा, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।